फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

बलवन्तसिंह पुत्र किशोरसिंह बनाम पेपसिंह पुत्र रेवन्तसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 33 / 2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
22.02.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगणों की खातेदारी एवं पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि का बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 20.03.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया ज़ाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम खारीबेरी पटवार हल्का खारीबेरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1582 रकबा 4.1925 हैक्टेयर की भूमि पर अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण कार्य एवं कब्जा नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्ध नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 20.03.2024 को पेश हों। Signature Not Verified Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi Date: 2024.05.24 11:31:50 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी बालेसर	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
20/3/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप0। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 6/5/24 को पेश हो। स्थगन आदेश यथावत है। (हस्ताक्षर)	
9/4/24	पत्रावली के मूल वाद जरिये विड्रा निस्तारित होने के कारण पत्रावली सारहीन है। अतः पत्रावली मूल वाद के अभाव में खारिज की जाती है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22/2/24 को मौजा [illegible] के खसरा नम्बर 1582 42 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बालेसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:31:50 IST
Reason: SelfAttested